सूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 65/2012

राजनारायण राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सदर, छपरा)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
30.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,सदर, छपरा के आदेश ज्ञापांक 544, दिनांक 28.05.2012 के विरूद्व दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 14.03.2012 को पूर्वाहन 11:30 बजे राजनारायण राम, ज0वि0प्र0वि,अनु सं0–72/2007, पंचायत–रम्होता , प्रखड–जलालपुर की दूकान की जांच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जलालपुर के द्वारा की गई, जिनके द्वारा अपने पात्रांक 24, दिनांक 14.03. 2012 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जिसके अनुसार विकेता की दुकान के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) आपके द्वारा बिना किसी सूचना के दूकान बंद रखा जाता है। (2) आपके द्वारा सूचना पट्ट का संधारण नही किया जाता है। (3) आपके द्वारा फूस की पलानी में अपना दूकान संचालित किया जाता है जो अत्यन्न जोखिम पूर्ण है, क्योंकि किरासन तेल ज्वलनशील पदार्थ है और आग लगने की प्रबल संभावना होती हें (4) आपके द्वारा उपभोक्ताओं की माह फरवरी 2012 का अबतक किरासन तेल की आपूर्ति न किया गया हें (5) आपके द्वारा किरासन तेल का मूल्य निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाता है। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर,छपरा के ज्ञापांक 403, दिनांक 23.03.2012 के द्वारा विकेता	

से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि निरीक्षण की तिथि को जांच पदाधिकारी 3:00 बजे अपराह्न के बाद विक्रेता की दूकान पर पहुचे थे, जिस समय दूकान का बंद रहना अनियमतता नही कहा जा सकता है। विक्रेता के द्वारा सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रर्दशन पट्ट समुचित रूप से संधारित किया गया था, एवं 3:00 बजे अपराह्न के बाद सुरक्षा के दृष्टि से उसे अंदर रख दिया गया था। विक्रेता के द्वारा फुस की पलानी में व्यापार नही किया जाता है, बल्कि उसके बगल में उनकी दूकान है। लगता है कि जांच पदाधिकारी को गलत ढंग से किसी के द्वारा फुस के पलानी को व्यापार स्थल बता दिया गया था। विक्रेता के विरुद्ध स्थानीय दुशमनी एवं दुराग्रह से प्रेरित होकर कुछ लोगो के द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत की गई है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कारण पृच्छा में शिकायत करने वाले किसी उपभोक्ता का नाम अंकित नही किया गया है, और न ही बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा एवं प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 544, दिनांक 28.05.2012) में कई त्रुटियॉ नजर आ रही है। अभिलेख में कुल 20 उपभोक्ताओं का विक्रेता के विरुद्ध बयान अंकित है, लेकिन उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध नही कराई गई, या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपो का उल्लेख कारण पृच्छा में ही किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि विक्रेता को उपभोक्ताओ से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराकर उनसे कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के

प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 289 /न्यायालय, दिनांक 02/05/2015

प्रतिलिपि – SDO, सदर, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – DIO, NIC, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

2/5/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण

2/5/15